


187/2015 सुमान कंवर - जंगा सिंह आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

3-8-21

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त में पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख से तैयार रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी कमी के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल मुद्रा है 1 से कम होकर बाव तुरतीव तकमोल दाखिल दफतर हो।


 भू-प्रवक्ता अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सीकर

...

...

...

...